रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 411] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 23, 2010/श्रावण 1, 1932

No. 411] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 23, 2010/SHRAVANA 1, 1932

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2010

सा.का.नि. 629(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग प्रतिषेध) अधिनियम, 2005 की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत का राज्य संप्रतीक (प्रयोग का विनियम) नियम, 2007 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारत का राज्य संप्रतीक (प्रयोग का विनियम) संशोधन नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारत का राज्य संप्रतीक (प्रयोग का विनियम) नियम, 2007 में, जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है, नियम 10 के उप-नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(4) इन नियमों के अधीन संप्रतीक का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के नाम के साथ लेखन सामग्री पर, जिसके अंतर्गत उस पर मुद्रित या उत्कीर्णित संप्रतीक सहित पत्र शीर्ष, परिचय पत्र और बधाई पत्र भी हैं, कोई वृत्तिक अर्हता या प्राइवेट वृत्ति उल्लिखित नहीं होगी ।"

3. उक्त नियम में,—

(i) अनुसूची 1 में, स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण—इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए 'अधिकारी' पद से कोई राजपत्रित अधिकारी अभिप्रेत है ।" ;

(ii) अनुसूची 2 के पैरा 1 में, पैरा (ii) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ii)(क) उप-राष्ट्रपति की कार, जब वह या उनका पति या उनकी पत्नी ऐसे वाहन में यात्रा कर रहे हों ;

(ख) उप-राष्ट्रपति की कार के पीछे चलने वाली अतिरिक्त कार ;"

(iii) अनुसूची 3 में, स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण—इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए "सरकार" में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारें, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन और अनुसूची 1 में उल्लिखित अन्य कार्यालय सम्मिलित हैं ।"

[फा. सं. 13/3/2009-पब्लिक]

आर. पी. नाथ, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सा.का.नि. 643(अ), तारीख 4 अक्तूबर, 2007 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2010

G.S.R. 629(E).—In exercise of powers conferred by section 11 of the State Emblem of India (Prohibition of improper Use) Act, 2005, the Central Government hereby makes the following rules to amend the State Emblem of India (Regulation of Use) Rules, 2007 namely :—

1. (1) These rules may be called the State Emblem of India (Regulation of Use) Amendment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the State Emblem of India (Regulation of Use) Rules, 2007, hereinafter referred to as the said Rules, in rule 10, for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted namely :—

"(4) No professional qualification or private profession shall be mentioned with the name of the person authorised to use the emblem under these rules on the stationery, including letter heads, visiting cards and greetings cards with emblem printed or embossed on it."

3. In the said rules,—

(i) In Schedule I, for the Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely :—

"**Explanation**—For the purpose of this Schedule, the expression 'officer' shall means a gazetted officer.";

(ii) In Schedule II, in part I for paragraph (ii), the following paragraph shall be substituted, namely :—

"(ii) (a) car of Vice-President when he or his spouse is travelling by such vehicle;

(b) the spare car following the car of the Vice-President;"

(iii) In Schedule III, for the Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely :—

"**Explanation**—For the purpose of this Schedule, "Government" includes the Central Government, State Governments, Union Territory Administrations and other Offices mentioned in Schedule I";

[F. No. 13/3/2009-Public]

R.P. NATH, Jt. Secy.

Foot Note :—The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide G.S.R. 643(E), dated the 4th October, 2007.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.